



दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवास (समन्वय) शाखा
द्वितीय तल, ब्लॉक – डी, विकास सदन, नई दिल्ली

कंप्यूटर संख्या: 99608

संख्या: एफ/1/0125/2025/सीओआरडी/-समन्वय(एच)/3211

दिनांक: 23.10.2025

परिपत्र

विषय: डीडीए जन साधारण आवास योजना, 2025 के फेज़ II का शुभारंभ।

समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.09.2025 को डीडीए जन साधारण आवास योजना, 2025 का शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी के 1167 फ्लैट विक्रय हेतु उपलब्ध कराए गए थे। योजना को अत्यंत उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई इसके साथ बुकिंग आरंभ होने के पहले दिन अर्थात् दिनांक 22.09.2025 को ही सभी फ्लैटों की बुकिंग हो गई।

2. जनता से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर और आम नागरिकों के लिए किफायती आवास की उपलब्धता का विस्तार करने की डीडीए की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, डीडीए जन साधारण आवास योजना, 2025 के फेज़ II का शुभारंभ किया जा रहा है। इस फेज़ के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों, यथा शिवाजी मार्ग (मोती नगर), रामगढ़ कॉलोनी (जहाँगीर पुरी मेट्रो स्टेशन के निकट), रोहिणी के सेक्टर 34 एवं 35 (शहरी विस्तार मार्ग-II के निकट) और नरेला के सेक्टर जी6-जी7, पॉकेट-11 (शहरी विस्तार मार्ग-I के निकट एवं प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के आसपास) में एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस की अतिरिक्त 1537 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उक्त फ्लैटों की सूची साथ में संलग्न है।

3. योजना के फेज़ II के अंतर्गत फ्लैटों की बुकिंग दिनांक 07.11.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे से, डीडीए के आवास पोर्टल [<https://eservices.dda.org.in>] (<https://eservices.dda.org.in>) के माध्यम से, “डीडीए जन साधारण आवास योजना, 2025” शीर्षक के अंतर्गत आरंभ होगी। फ्लैटों की बुकिंग हेतु राशि निम्नानुसार होगी:

□ एलआईजी फ्लैट - ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र)।

□ ईडब्ल्यूएस फ्लैट - ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)।

4. फ्लैट बुक करने के इच्छुक आवेदकों को डीडीए के आवास पोर्टल पर पंजीकरण हेतु एकमुश्त ₹2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र) पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। डीडीए जन साधारण आवास योजना, 2025 के ब्रॉशर में उल्लिखित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें यथावत लागू होंगी, इसमें उपर्युक्तानुसार एलआईजी श्रेणी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

यह परिपत्र उपाध्यक्ष, डीडीए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: अतिरिक्त फ्लैटों की सूची

कुणाल कश्यप

(कुणाल कश्यप)

आयुक्त (आवास)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव।
2. उपाध्यक्ष, डीडीए के विशेष कार्य अधिकारी।
3. प्रधान आयुक्त (आवास), डीडीए के निजी सचिव।
4. आयुक्त (आवास), डीडीए के निजी सचिव।
5. निदेशक (आवास)-I एवं II, डीडीए के निजी सचिव।
6. सभी उप निदेशक (आवास), डीडीए।
7. उप निदेशक (प्रणाली)-एच, को आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त परिपत्र को डीडीए की वेबसाइट और आवास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

कुणाल कश्यप

आयुक्त (आवास)

अनुलग्नक

क्र. सं.	स्थान	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या*	अनुमानित प्लिंथ एरिया की सीमा (वर्ग मीटर में)**	अनुमानित मूल्य की सामान्य सीमा (लाख रुपये में)	लागू छूट	अनुमानित छूट मूल्य की सामान्य सीमा, जहाँ लागू हो (लाख रुपये में)***	संबंधित अभियंता का विवरण
1.	नरेला, सेक्टर जी-6 एवं जी -7, पॉकेट-11	ईडब्ल्यूएस	1120	34.8 से 35.1	13.7 से 13.8	15%	11.8 से 11.9	—
2.	रोहिणी, सेक्टर 33 एवं 34	एलआईजी	308	33.3 से 33.9	14 से 14.2	लागू नहीं	14 से 14.2	—
3.	रामगढ़ कॉलोनी	एलआईजी	73	31.9 से 35.3	15.3 से 16.9	15%	13.1 से 14.5	—
4.	शिवाजी मार्ग	ईडब्ल्यूएस	36	33.1 से 45.1	25.2 से 32.7	लागू नहीं	25.2 से 32.7	—

*फ्लैटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

** प्लिंथ एरिया में कॉमन एरिया भी सम्मिलित है और यह प्रत्येक फ्लैट के अनुसार भिन्न हो सकता है।

*** प्रत्येक फ्लैट के वास्तविक प्लिंथ एरिया के आधार पर मांग-पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए फ्लैटों का निपटान मूल्य उनके प्लिंथ एरिया के अनुसार भिन्न हो सकता है। अनुमानित लागत में वॉटर कनेक्शन प्रभार और परिवर्तन प्रभार सम्मिलित नहीं हैं, जहाँ लागू हो।